न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 143/2019

1. जीत सिंह (फौत)
   1/1 दीप कौर पत्नी जीत सिंह जाति रायसिख निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)
   1/2 रजनदीप कौर पुत्री जीत सिंह जाति रायसिख निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)
   1/3 मिठू सिह पुत्र जीत सिंह जाति रायसिख निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)
   1/4 मंगल सिह पुत्र जीत सिंह जाति रायसिख निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)

–अपीलाण्ट

बनाम

1. राजसिंह पुत्र जीत सिंह जाति रायसिख निवासी चक 12 एस.टी.बी. पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. श्राज कौर पुत्री जीत सिंह पत्नी गुरमीत सिंह जाति रायसिख निवासी बिजोर अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

–– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियमय
विरूद्व निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा,
दिनांक 03.09.2009, प्रकरण संख्या 50/2005
बअनवानी जीतसिंह बनाम राजा सिंह

उपस्थितः–
श्री मदनलाल पारीक, अधिवक्ता अपीलाण्ट सं0 1 ता 3
श्री खुशप्रीतसिह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट सं0 4

निर्णय दिनांक – 27.08.21

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 केअन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:36 IST
Reason: SelfAttested

एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन कियाकि वादी के पिता टहलसिंह पुत्र सरदारासिंह जाति रायसिख साकिन चक 12 एस.टी.बी. तहसील पीलीबंगा को चक नं. 12 एस.टी.बी. बी. में प. नं. 25/338 किला नं. 1 ता 25 की 6.325 है0 भूमि आवंटनशुदा गैर खातदारी आराजी है। टहलसिंह का स्वर्गवास दिनांक 16.04.2004 को हो चुका है वादी की माता इन्द्र कौर का भी स्वर्गवास हो चुका है। टहलसिंह का एकमात्र वारिस वादी है।

2. टहलसिंह का स्वर्गवास होने के बाद प्रतिवादी नं टहलसिह की किसी गलत विधि विरूद्ध फर्जी वसीयत दिनांक 02.04.2004 के आधार पर टहलसिंह की 25 बीघा में से 12.10 बीघा भूमि का अपने नाम इन्तकाल करवा लिया। इन्तकाल में रकबा गैरखातेदारी है और गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं हो सकती है। ऐसी वसीयत का इन्तकाल भी नहीं हो सकता है। वसीयत के समय वादी की माता जिन्दा थी तथा कथित वसीयत में वादी व उसकी माता को महरूम करने का कोई कारण अंकित नही है एवं वसयीत रजिस्टर्ड नही है। 12 एस.टी.बी. जहां टहलसिंह रहता था वहां का कोइ गवाह नही है टहल सिह 90 वर्ष की आयु का था उसमें सुनने व समझने की शक्ति खतम हो चुकी थी। वसीयत पर टहलसिंह का फर्जी अंगूठा लगवाया और अपने खास व्यक्तियों को गवाह बनाकर फर्जी वसीयत तैयार करवाई है। वसीयत में टहलसिह का अंगूठा सही जगह नही लगाया है। अंगूठा नीचे लगाया जाना चाहिये था, जबकि यह प्रथम पृष्ठ के उपर लगाया गया है। वसीयत टहलसिंह ने अपने स्वतंत्र इच्छा से निष्पादित नही करवाई है। वसीयत टहलसिंह द्वारा निष्पादित नही है। इस वसीयत के आधार पर राजासिंह का कोई अधिकार प्राप्त नही होतें इसलिए वादी यह घोषणा करा पाने का अधिकारी है कि वादी ही टहलसिंह की 25 बीघा आराजी का हकदार है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया दिनांक 31.05.2007 को वादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई और दिनांक 03.09.2009 को प्रतिवादी की बहस सुनकर प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

4. अपील में दिनांक 29.07.2010 को अपीलाण्ट द्वारा अपील चलाना नही चाहने के कारण खारिज की कर दी गई। बाद में अपीलाण्ट ने आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:36 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट राजासिंह का सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. भेजा गया उसकी पोस्टल रसीद पत्रावली में संलग्न है, अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट राजसिंह के उपस्थित नही आने अपीलाण्ट/प्रार्थी की बहस सुनकर प्रार्थना– पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया गया और अपील पुनः बाजवा नंबर पर ली गई।

5. अपील में अपीलाण्ट के अधिवक्तागण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्तागण ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन तथाकथित वसीयत का नामान्तरण तहसीलदार से मिलीभगत कर रेस्पोडेण्ट ने अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा एडीएम साहब, हनुमानगढ के समक्ष अपील पेश की जिसका निर्णय दिनांक 30.11.2005 द्वारा हुआ उक्त वसीयत को विधि विरूद्ध व फर्जी माना एव जिसके विरूद्ध सम्भागीय आयुक्त बीकानेर में अपील की गई। उक्त अपील में सम्भागीय आयुक्त महोदय ने एडीएम, हनुमानगढ के निर्णय को बहाल रखा एवं तथाकथित वसीयत को सही होना नही माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया है।

7. टहलसिंह के फौत होने पर उसके 6 वारिस है जिनके कुल 6 हिस्से टहल की कुल भूमि में 1/6 हिस्सा प्रत्येक हिस्सेदार का आता है। स्वर्गीय टहल सिह की 24.10 बीघा भूम में प्रत्येक का 1/6 हिस्सा आता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में कुल 4 हिस्से माने हैं। यह कि स्व0 टहलसिंह की 24.10 बीघा भूमि में से 12.10 बीघा की कथित वसीयत हो गई। शेष 12.10 बीघा में 1/4 हिस्सा मानते हुए राजकौर व रंजनीदीप कौर के हिस्से की कोइ व्यवस्था नहीं दी गई।

8. धारा 39 रा.का.अ. के तहत कृषि भूमि की खातेदारी होना आवश्यक है तभी उसकी वसीयत हो सकती है जबकि फैसले में 31.08.09 को खातेदारी होना माना है। कथित वसीयत में किला नं. 1 ता 10, 14/.10, 15, 16 कुल 12 बीघा है जबकि फैसल में 1 ता 15, 16/.12 कुल 15.12 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट को दे दी जबकि पूर्व पैरे में 1/4 हिस्सा मानते हुए शेष हिस्से 3.2–1/2 बीघा मानी है जबकि राजस्व रिकार्ड में 24.10 बीघा भूमि ही दर्ज है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय काफैसला अपास्त किये जाने योग्य है।

9. गैर खातेदारी कृषि भूमि की वसीयत कानून सम्मत नही होने के कारण ए.डी. एम. हनुमानगढ व श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय बीकानेर ने वसीयत को

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:36 IST
Reason: SelfAttested

कानून सम्मत नहीं माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की वैद्यता अवैद्यता के बारे में अपने निर्णय में कोई व्यवस्था नही की है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

10. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

11. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत घोषणा का वाद पेश किया था। जिसमे प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया था। प्रकरण में तनकीयात कायम की गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य रखी गई थी। किन्तु दिनांक 31.05.2007 को वादी स्वयं या वकील वादी हाजिर नहीं होने पर उसके वाद को खारिज कर दिया तथा प्रतिवादी का काउण्टर कलेम होने पर प्रकरण को वास्ते बहस रखा गया। अपीलाण्ट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 9 व 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश कर वादी का वाद पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया। यह प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया एवं प्रकरण को पुनः बहस हेतु रखा गया एवं प्रतिवादी की बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर दिया।

12. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कुल 7 तनकीयात कायम की थी, लेकिन अपीलाधीन निर्णय तनकीवाई निर्णय नहीं किया गया है। हमारे विनम्र मतानुसार प्रकरण में तनकीयात कायम करने के बाद निर्णय भी तनकीवाई ही किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को सुन कर प्रकरण का तनकीवाईज निर्णय पारित करे।

13. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.2009 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:36 IST
Reason: SelfAttested

कि उभयपक्ष को सुन कर प्रकरण का तनकीवाईज निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

27/8/21
(करतार सिंह पूनियॉ)
राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
आरएएस
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:36 IST
Reason: SelfAttested